



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
संख्या—FC-...२०१०.

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—10/04/2019

विषय— श्रीमती विभा सिंह द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत NH-77 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0446 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत NH-77 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0446 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु श्रीमती विभा सिंह, पत्नी—श्री छत्रपति कुमार सिंह, ग्राम—फारछाहीया, पो०—कोहबरवा, थाना+प्रखंड—सोनबरसा, जिला—सीतामढ़ी, पिन—843 330 का प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1585, दिनांक 12.09.2017 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है तथा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र दिनांक 08.04.2019 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। (अभिष्ठमातृ छात्र संलग्न)

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या—190(ई.) दिनांक 16.02.1994 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.0446 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map, shape File एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है है तथा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

- (i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।
- (ii) 0.0446 हेक्टेयर वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में ₹० 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से ₹० 27,920/- (सताईस हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त भूमांग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
- (v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

हेक्टेयर

(ए० कें० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC-२९७.....

दिनांक—१०/०५/२०१९

प्रतिलिपि : श्रीमती विभा सिंह, पत्नी—श्री छत्रपति कुमार सिंह, ग्राम—फारछाहीया, पो०—कोहबरवा, थाना+प्रखंड—सोनबरसा, जिला—सीतामढ़ी, पिन—८४३ ३३० को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधिकारी
प्रभाग

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

%